

**छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय**

महानदी भवन, अटल नगर-नवा रायपुर

क्रमांक/PROJ-41/549/2026-WRD/F-7, **2951**
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक **17/07/2026**

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- "अपरीक्षित नवीन मद" अंतर्गत रु. 5.00 करोड़ तक के योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र.-308/वित्त/चार/2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14.05.2025.

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 के तहत आपके संरचनाधीन राशि रु. 5.00 करोड़ तक के निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति नीचे दर्शित शर्तों के अधीन प्रदान करता है :-

स. क्र.	योजना का नाम	संभाग का नाम	मांग संख्या	लागत राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित सिंचाई/पुनर्स्थापन (हे.)
1	रायगढ़ जिले के टीपाखोल जलाशय पिकअप वियर का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	45/4702 (3803) 2026-27	441.62	156
2	रायगढ़ जिले के सुटूपाली जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	45/4702 (3803) 2026-27	240.14	95
3	रायगढ़ जिले के कोतासुरा जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	45/4702 (3803) 2026-27	192.56	48
4	रायगढ़ जिले के छेवारीपाली (धोबनीपाली) बांध के मरम्मत एवं नये नहर निर्माण कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	41/4702 (3828) 2026-27	429.78	224
5	रायगढ़ जिले के सांकरा में डोंगी तालाब सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	45/4702 (3803) 2025-26	378.32	-
6	सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नदीगाँव जलाशय के रपटा से परसरामपुर तक सिंचाई नाली का निर्माण कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	41/4702 (3828) 2025-26	369.56	240
7	सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नदीगाँव तालाब का जीर्णोद्धार एवं नहर सी.सी. लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	41/4702 (3828) 2025-26	176.13	74
8	रायगढ़ जिले के विकासखण्ड-बरमकेला अंतर्गत ग्राम कटंगी बांध सहित नहरों का जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	45/4702 (3803) 2025-26	351.97	255.00

..2..

स. क्र.	योजना का नाम	संभाग का नाम	मांग संख्या	लागत राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित सिंचाई / पुर्नस्थापन (हे.)
9	रायगढ़ जिले के बायंग स्टापडेम का निर्माण कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायगढ़	45/4702 (5059) 2026-27	198.08	60.00
10	रायगढ़ जिले के अंतर्गत माण्ड एनीकट नीचेपारा का रिमाडलिंग एवं जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग धरमजयगढ़	41/4702 (3828) 2026-27	335.62	200.00
11	कोरबा जिले के हरदी नेवसा जलाशय योजना का शीर्ष एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोरबा	41/4702 (3828) 2025-26	440.72	94.00
12	कोरबा जिले के झोकानाला जलाशय योजना का शीर्ष एवं नहर का जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोरबा	41/4702 (3828) 2025-26	389.56	90.00
13	कोरबा जिले के अंतर्गत कटघोरा व्यपवर्तन योजना हेतु गेन्ट्री क्रैन एवं स्टॉप लॉग का निर्माण कार्य	कार्यपालन अभियंता वि/यां लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग सकरी	41/4702 (3828) 2026-27	304.42	—
14	कोरबा जिले के चैतमा व्यपवर्तन स्टापडेम रिमाडलिंग का कार्य नहर में आर.सी.सी. चैनल निर्माण एवं 01 नग सुपर पैसेज का निर्माण कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोरबा	41/4702 (3828) 2025-26	483.77	240.00
15	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के हरदीपारा खोडरी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य का सुदृढीकरण एवं नहरों में सी.सी.लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड	41/4702 (3828) 2025-26	242.44	80.00
16	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के बस्ती व्यपवर्तन योजना की नहर में आर.सी.सी. चैनल एवं लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग मरवाही	41/4702 (3828) 2026-27	132.43	47.00
17	बिलासपुर जिले के दुलहरा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का सुदृढीकरण एवं नहरों में सी.सी. लाईनिंग का कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड	41/4702 (3828) 2025-26	487.82	97.00
18	मुंगेली जिले के मनियारी जलाशय योजना के डी-3 मुख्य नहर की चरनीटोला माईनर का आर.डी. 0 मी. से 2800 मी. तक, हरदीडीह माईनर का आर.डी. 0 मी. से 1200 मी. तक सी.सी. लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली	23/4700 (2884) 2025-26	298.08	90.69
19	मुंगेली जिले के मनियारी जलाशय योजना के डी-3 मुख्य नहर की दाढ़ीपारा माईनर का आर.डी. 0 मी. से 4000 मी. तक सी.सी. लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली	23/4700 (2884) 2025-26	285.62	257.00

..3..

स. क्र.	योजना का नाम	संभाग का नाम	मांग संख्या	लागत राशि (रु. लाख में)	प्रस्तावित सिंचाई / पुर्नस्थापन (हे.)
20	मुंगेली जिले के मनियारी जलाशय योजना के डी-1 मुख्य नहर की लालपुर माईनर का आर.डी. 0 मी. से 1200 मी. तक, हड़गांव माईनर का आर.डी. 0 मी. से 2000 मी. तक सी.सी. लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली	23/4700 (2884) 2025-26	283.94	32.02
21	मुंगेली जिले के मनियारी जलाशय योजना के डी-2 शाखा नहर की हेडसपुर माईनर में 2200 मी. तक एवं जगताकापा माईनर में 1800 मी. तक सी.सी. लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली	23/4700 (2884) 2025-26	218.78	200.00
22	बिलासपुर जिले के सावंतपुर जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा	45/4702 (3803) 2026-27	313.09	88
23	बिलासपुर जिले के सागर जलाशय योजना का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा	45/4702 (3803) 2025-26	172.31	40
24	मुंगेली जिले के टेसुवा व्यपवर्तन के मुख्य नहर आर.डी. 13300 से 14300 मी. एवं डिघोरा माईनर आर. डी. 0 से 900 मी. तक सी.सी. लाईनिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली	45/4702 (3803) 2026-27	338.78	168.60
25	बिलासपुर जिले के पोड़ी सरवानी जलाशय के नहर सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग एवं रिमाडलिंग कार्य	कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	45/4702 (3803) 2026-27	293.82	196.00
26	बिलासपुर जिले के बिलासपुर ट्रेनिंग सेंटर का उन्नयन कार्य	कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	45/4702 (3803) 2025-26	492.70	—
27	बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर के खैरा डगनिया माईनर, बाम्हू माईनर, अकलतरी माईनर, पिपरा माईनर एवं गढवट माईनर का लाईनिंग कार्य एवं जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	23/4700 (2884) 2025-26	478.31	150
28	बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय अंतर्गत जलसो शाखा नहर एवं माइनरों का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य	कार्यपालन अभियंता खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	64/4700 (2884) 2026-27	311.09	105.90

2. योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 अनुसार गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय विभागीय मंत्री सह, मुख्यमंत्री महोदय का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।

3. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

..4..

4. कार्य की ड्रॉईंग व डिजाईन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।
5. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (IS) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को दिया जाये।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।
7. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।
8. यदि कार्य में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है तो प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से करा लिया जाये।
9. कार्य की निविदा समय सीमा में कर ली जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो व निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।
10. कार्य की निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने पर अथवा मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर या नवीन कार्य जोड़े जाने पर या किसी भी स्तर पर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति लागत तथा उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमा से अधिक राशि का दायित्व (स्पंडपसपजल) निर्मित होने की स्थिति में निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तत्समय ही प्राप्त की जाये। बिना सक्षम स्वीकृति के अतिरिक्त दायित्व निर्मित न की जाये।
11. शीर्ष में उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
12. निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करें।
13. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता पर कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
14. अनुबंध अनुसार कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। निर्माण कार्य में समय वृद्धि (Time Extention) नियमानुसार अर्थदण्ड सहित अधिरोपित किया जाये। कार्य पूर्ण किये जाने हेतु अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि (Time Extention) न की जाये। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।
15. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
16. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों के अंतर्गत प्रस्ताव की उपयुक्तता (Viability) का आंकलन सुनिश्चित कर लिया जाये। प्रस्ताव लोकहित के मूल भावना के अनुरूप हो।
17. कार्य के तकनीकी पहलुओं यथा कार्य का चयन, कार्य स्थल की उपयुक्तता, कार्य की गुणवत्ता, प्राक्कलन की सटीकता, कार्यपूर्णता हेतु समय-सीमा, वित्तीय अनुशासन एवं प्रचलित नियमों/प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by

VIDYA BHARTI

Date: 17-07-2026

18:00:08

(विद्या भारती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

..5..

पृ.क्रमांक / PROJ-41/549/2026-WRD/F-7,
प्रतिलिपि:-

2952

नवा रायपुर, दिनांक 17/07/2026

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला-रायगढ़/सारंगढ़-बिलाईगढ़/सक्ती/कोरबा/ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही/बिलासपुर/मुंगेली (छ.ग.)।
8. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
9. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर।
10. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
11. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, (छ.ग.)।
13. संबंधित कार्यपालन अभियंता,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
VIDYA BHARTI
Date: 17-07-2026
18:00:38

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग